तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मदनसिंह इन्दा बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार बालेसर) सू.अ.अ. अपील संख्या 223/2020	

10.12.20

अपीलार्थी मदनसिंह इन्दा, पता न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के पास, कमरा नं0 06, बालेसर सतां, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.09..20 में उसके द्वारा (1) 01 अप्रैल 2008 से 31 मार्च,.2012 के बीच तहसील बालेसर ने धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत कितने प्रकरणों में नियमन का आदेश पारित किया गया, उक्त नियमन किये गये प्रकरणों की सूची सम्पूर्ण विवरण यथा नाम, पता खसरा नम्बर रकबा सहित उपलब्ध कराने व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बालेसर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार बालेसर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ..(तहसीलदार बालसेर) से जरिये पत्रांक 557 दिनांक 24.11.2020 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस कार्यालय को दिनांक 05.10.20 को प्राप्त हुआ है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना पूर्व में प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक/राजस्व/140 दिनांक 14.09.2020 को दे दी गई थी जिसकी सूचना प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक/सू.अ.अ./2020/521 दिनांक 20.10.20 द्वारा दे दी गयी थी। रिपोर्ट में यह भी बतलाया कि प्रार्थी द्वारा एक ही सूचना आंशिक बदलाव करके तथा प्रश्न के रूप में अल्प अवधि में बार–बार चाही जा रही है जो अल्प समयावधि में बार बार दिया जाना सम्भव नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anop Singh Inda
Date: 2021.01.29 14:55:08 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधि[illegible]सीलदार बालेसर) के समक्ष सूचना का अधिकार [illegible] दिनांक 25.09.2020 मय 10/– रू. का [illegible] 943900 पेश करने एवं उसमें चाही गई सूचना यह लिखते हुए कि पूर्व में प्रार्थी के अन्य प्रार्थना पत्र पर जरिये पत्रांक 140 दिनांक 14.09.2020 [illegible]ना भिजवाई जाने के कारण अब सूचना देय नहीं है, ऐसा मानना विधिक प्रावधानों को आत्मसात् न करने का फल है। प्रार्थी द्वारा विधिक प्रावधानों के तहत यदि एक से अधिक प्रार्थना पत्र दिये जाते है ऐसे प्रत्येक प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना देना आवश्यक है अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बालेसर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।